क्रम-संख्या —260

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2454/सत्रह–वि–1—1(क)40-2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 में एक नई धारा 4-ख का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा 4-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"4-ख-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, किसी माल या माल के वर्ग पर कर के उद्ग्रहण, या व्यापारियों के वर्ग को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है।"

छूट देने की शक्ति

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग प्रयोग या विक्रय के लिये माल के प्रवेश पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया है। यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार को लोकहित में किसी माल, या माल के वर्ग पर कर के उद्ग्रहण, या व्यापारियों के वर्ग को कर के भुगतान से, छूट प्रदान करने की शक्ति दिये जाने हेतु उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 2454(2)/XVII-V-1—1(KA)40-2001

Dated Lucknow, October 6, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Ke Pravesh Par Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001:—

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act No. 26 of 2001)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Second Amendment) Act, 2001.

2. *After* section 4-A of the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000, the following section shall be *inserted*, namely :—

Insertion of a new section 4-B in U. P. Act no. 12 of 2000

"4-B. Where the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification exempt, any goods or class of goods from levy, or class of dealers from the payment of the tax."

Power to exempt

By order.

Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000 has been enacted to provide for the levy and collection of tax on entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein. It has been decided to amend the said Act to empower the State Government to exempt, in public interest, any goods or class of goods from levy, or class of dealers from the payment, of the tax.

The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Second Amendment) Bill, 2001 is introduced accordingly.

पी०एस०यू०पी० ए०पी०—432 राजपत्र (हिन्दी)—(1155)—2001—597—कम्प्यूटर/आफसेट।

पी०एस०यू०पी० ए०पी०—170 सा० विधा०—(1156)—2001—850—कम्प्यूटर/आफसेट।